न्यायालय : दशम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा, जिला रीवा, (म0प्र0)

(समक्ष : श्रीमती संगीता मदान)

Case no. ST/173/2022
CNR- MP170-1015627-2022
Filing no. ST/11738/2022
Date of filing- 11-10-2022

महिला थाना रीवा के अपराध क्रमांक 14/2018 धारा 377, 498ए, 323/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित दांडिक प्रकरण क्रमांक 768/2018 शासन बनाम अमित मिश्रा बगैरह में सुश्री मीनाक्षी रावत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रीवा द्वारा दिनांक 30.09.2022 को पारित उपार्पण आदेश से उत्पन्न हुआ सत्र विचारण।

परिवादी/अभियोजन	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा महिला थाना रीवा, जिला रीवा।
प्रतिनिधित्व द्वारा अभियोजन	श्री हरिशंकर पटेल, अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	1. अमित मिश्रा पिता स्व0 रामकिशोर मिश्रा, उम्र 29 वर्ष 2. कुसुम मिश्रा पति स्व0 श्री रामकिशोर मिश्रा उम्र 63 वर्ष, 3. नीरज मिश्रा पिता स्व0 श्री रामकिशोर मिश्रा उम्र 32 वर्ष 4. नीलू उर्फ नीलम मिश्रा पति नीरज मिश्रा उम्र 30 वर्ष
प्रतिनिधित्व द्वारा अभियुक्त	श्री सुनील पाण्डेय अधिवक्ता।
अपराध की तारीख	दिनांक 03.06.2017 से 26.03.2018 तक
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	28.03.2018
आरोप/अभियोग पत्र की तारीख	14.05.2018
आरोपों की विरचना की तारीख	25.03.2019
साक्ष्य प्रारम्भ किए जाने की तारीख	07.02.2023

निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख 16.02.2023

निर्णय की तारीख 16.02.2023

दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख

—::अभियुक्तगण का विवरण ::—

अभि0की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा होने की तारीख	अपराध जिसका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. की अवधि
01.	अमित मिश्रा	29.03.18	6.4.18	498ए, 377,323 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	दोषमुक्त	निरंक	09 दिन
02.	कुसुम मिश्रा	25.04.18	17.4.18	498ए भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	दोषमुक्त	निरंक	23 दिन
03.	नीरज मिश्रा	25.04.18	17.4.18	498ए भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	दोषमुक्त	निरंक	23 दिन
04.	नीलू उर्फ नीलम मिश्रा	25.04.18	17.4.18	498ए भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	दोषमुक्त	निरंक	23 दिन

—::अभियोजन साक्षीगण::—

साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति	दस्तावेज का प्रकार	प्रदर्श संख्या
01.	ऋचा मिश्रा	फरियादिया/पीड़िता	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी—1
			मेडिकल परीक्षण हेतु सहमति पत्र	पी—2
			मेडिकल परीक्षण	पी—3
			नक्शा मौका	पी—4
			जप्ती पत्रक	पी—5,पी—6
			पुलिस कथन	पी—7
02.	सविता मिश्रा	पीड़िता की मां	पुलिस कथन	पी—8
03.	प्रियंका पाठक	विवेचक	अमित मिश्रा का गिरफ्तारी पत्रक	पी—9
			कुसुम मिश्रा का गिरफ्तारी पत्रक	पी—10
			नीलू मिश्रा का गिरफ्तारी पत्रक	पी—11
			नीरज मिश्रा का गिरफ्तारी पत्रक	पी—12
			एफएसएल की रिपोर्ट	पी—13
			आरोपी का मुलाहिजा फार्म	पी—14

—::बचाव साक्षीगण::—

साक्षी क्रमांक	*साक्षी का नाम*	*साक्ष्य की प्रकृति*	*दस्तावेज का प्रकार*	*प्रदर्श संख्या*

—::न्यायालय साक्षीगण::—

साक्षी क्रमांक	*साक्षी का नाम*	*साक्ष्य की प्रकृति*	*दस्तावेज का प्रकार*	*प्रदर्श संख्या*

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 16 फरवरी, 2023 को घोषित)

1. आरोपीगण के विरूद्व धारा 498ए भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.06.2017 से 26.03.2018 के बीच स्थान ग्राम बैसा, थाना बिछिया जिला रीवा में फरियादिया के पति एवं पति के नातेदार होते हुए उससे दहेज में चार पहिया गाड़ी एवं एक लाख रूपये की मांग कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। अभियुक्त अमित मिश्रा के विरूद्व यह भी आरोप है कि दिनांक 21.2.2018 को यूनियन बैंक मैनेजर के कैबिन के सामने फरियादिया के साथ मारपीटकर स्वेच्छा उपहति कारित की एवं दिनांक 26.03.2018 को फरियादिया अपनी पत्नी के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्व स्वेच्छया इन्द्रियभोग कर अप्राकृतिक मैथुन किया।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि इस प्रकरण की फरियादिया ने अपने पड़ोसी राजू द्विवेदी के साथ महिला थाना रीवा आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि उसकी शादी दिनांक 03.06.2017 को अमित मिश्रा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सास कुसुम मिश्रा, जेठ नीरज मिश्रा, जेठानी नीलू मिश्रा एवं पति अमित मिश्रा द्वारा फरियादिया से दहेज के रूप में चार पहिया वाहन एवं व्यवसाय के लिए पैसे की मांग की जाने लगी। पैसे लाने के लिए सास पति से मारपीट करवाती थी। फरियादिया के जेठ जेठानी उसे एक लाख रूपये मायके से लाने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दिनांक 21.2.2018 को फरियादिया अपने पति के साथ यूनियन बैंक में मैनेजर के केबिन के सामने बैठी थीं तब उसके पति अमित मिश्रा ने उसे बहुत मारा और बोला कि उसे मार—मार कर इतनी बदसूरत बना देगा कि कोई उसकी ओर देखेगा तक नहीं। उक्त मारपीट में उसे काफी चोटें आईं। उसके बाद उसका पति उसे मायके छोड़ गया। दिनांक 26.3.2018 को फरियादिया अपने शांति बिहार कालोनी स्थित मायके में अकेली थी उसके माता—पिता भोपाल गए हुए थे तभी रात 11.30 बजे उसका पति अमित मिश्रा आया और दरवाजा खटखटाने लगा, फरियादिया ने जब दरवाजा खोला तो अमित मिश्रा ने कहा कि रूक

तुझे बताता हूँ इसके बाद अभियुक्त अमित मिश्रा ने फरियादिया के कपड़े फाड़ दिए उसके साथ अप्राकृतिक रूप से गुदाद्वार पर पीछे से संबंध बनाया और फरियादिया के गुप्तांग में पेन डाला और अपना गुप्तांग जबरदस्ती फरियादिया के मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था। फरियादिया के द्वारा चिल्लाने पर पड़ोसी आकर दरवाजा खटखटाने लगे तो अभियुक्त अमित मिश्रा ने उसे छोड़ा। उसने पड़ोसियों को बताया कि पति मार रहे हैं, वे लोग पति को समझाने लगे। इसके बाद पति दिल्ली चले गए। उक्त बात उसने अपने माता–पिता को बताई। उसके बाद फरियादिया ने पड़ोसी राजू द्विवेदी के साथ महिला थाना रीवा में अभियुक्तगण के खिलाफ घटना की रिपोर्ट की।

3. फरियादिया की रिपोर्ट पर से प्रदर्श पी–1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादिया का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा साक्षियों के कथन लिये गये तथा विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र विचारण हेतु मजिस्ट्रेट न्यायालय रीवा में प्रस्तुत किया गया। जहां से प्रकरण सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया। माननीय सत्र न्यायालय से यह प्रकरण विधिवत विचारण हेतु इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ।

4. इस न्यायालय द्वारा आरोपी अमित मिश्रा पर धारा 498ए, 323, 377 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा शेष आरोपीगण पर धारा 498ए भा0दं0सं0 तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप लगाया गया। जिसे आरोपीगण ने अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की।

5. निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करना है :–

(1) क्या आरोपीगण द्वारा फरियादिया ऋचा मिश्रा को दहेज में चार पहिया गाड़ी एवं एक लाख रूपये की मांग रखकर प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया ?

(2) क्या अभियुक्त अमित मिश्रा ने दिनांक 21.2.2018 को यूनियन बैंक मैनेजर की केबिन में फरियादिया के साथ मारपीटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

(3) क्या अभियुक्त अमित मिश्रा ने फरियादिया के पति

होते हुए दिनांक 26.3.18 को रात्रि 11.30 बजे शांति बिहार कालोनी रीवा में अपनी पत्नी फरियादिया के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध स्वेच्छया इन्द्रियभोग कर अप्राकृतिक मैथुन किया ?

साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1,2 एवं 3

6. अभिलेख पर आई साक्ष्य के तथ्य एक साथ जुड़े होने से उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर एक साथ विवेचना की जा रही है।

7. इस प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी फरियादियादिनी (अ0सा01) स्वयं है। इस साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी अमित मिश्रा उसका पति है। शेष आरोपी कुसुम मिश्रा उसकी सास, नीरज मिश्रा उसके जेठ एवं नीलू मिश्रा उसकी जेठानी है। उसका विवाह अमित मिश्रा से 3.6.2017 को हुआ था, उसे अमित मिश्रा से एक बेटा है। उसके पति की नौकरी छूट गई थी जिस कारण वह घर में रहने लगे थे। घर में पैसों की तंगी से उसके बीच नोकझोक होने लगी थी। इसी कारण उसने गुस्से में अपने पति व ससुराल वालों के विरूद्ध शिकायत कर दी थी। वह विगत दो वर्ष से अपने पति के साथ ससुराल में राजीखुशी से रह रही है।

8. फरियादिया अ0सा01 ने अपने कथन में आगे बताया है कि वह अपने पति व ससुराल वालों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है, क्योंकि उसके साथ न तो दहेज को लेकर कोई प्रताड़ना की गई और न ही किसी प्रकार का अप्राकृतिक संबंध उसके पति द्वारा उसके साथ स्थापित किया गया। इस साक्षी ने प्रदर्श पी–1 की रिपोर्ट में ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना, मेडिकल हेतु सहमति देना और सहमति पत्र प्रदर्श पी–2 पर हस्ताक्षर होना, उसका मेडिकल परीक्षण होना और मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 में ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना और प्रदर्श पी–4 का नक्शा मौका तैयार किया गया और प्रदर्श पी ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

9. फरियादिया अ0सा01 द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के कारण उसे अपर लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, किन्तु फरियादिया ने प्रतिपरीक्षण में भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। उसने पुलिस कथन प्रदर्श पी–7 के अंश ए से ए ''शादी के बाद से ही ...मुझे मारते थे सब सहन करो'' पढ़कर सुनाया गया तो साक्षिया द्वारा ऐसा कथन देने से इंकार किया है। उसने अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि शादी के बाद से ही उसकी सास कुसुम मिश्रा, जेठ नीरज एवं जेठानी नीलू व उसके पति बोलेरो गाड़ी व बिजनेश के लिए एक लाख रूपये मायके से लाने के लिए कहते थे। उसने पुलिस कथन में यह भी नहीं बताया था कि उसकी जेठानी उसे सामान इस्तेमाल नहीं करने देती थी और शादी के चार दिन बाद ही बाल्टी से मारी थी और कही थी कि अपने बाप के घर से ले आओ। उसने पुलिस कथन में यह भी नहीं बताया था कि उसके जेठ गंदी गंदी गाली देते थे और बोलेरो के लिए ताने देते थे। उसने ऐसा बयान देने से भी इंकार किया है कि उसके पति अप्राकृतिक संबंध बनाते थे और मना करने पर मारपीट करते थे। उसने ऐसा भी बयान नहीं दिया था कि उसके पति 21.02.2018 को यूनियन बैंक ले जाकर मैनेजर के केबिन के सामने अमित मिश्रा ने उसके साथ मारपीट की थी और बदसूरत बना देने की धमकी दी थी। उसने पुलिस बयान में यह भी नहीं बताया था कि उसके पति दिनांक 28.2.2018 को मायके में छोड़ गए थे। फरियादिया ने अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण की कंडिका–5 में और स्पष्ट किया है कि उसके पति उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके ससुराल वाले बहुत ही इज्जत सम्मान देते हैं। वह अपने ससुराल में इज्जत सम्मान से रह रही है और पति की लम्बी उम्र की कामना करती है।

10. फरियादिया की मां सविता मिश्रा अ0सा02 ने अपने न्यायालयीन कथन में आरोपीगण को जानना पहचानना बताया है। उसने अपने कथन में बताया है कि उसकी पुत्री ने कभी उसे नहीं बताया कि उसके पति व शेष आरोपीगण बोलेरो वाहन व पांच लाख रूपये अथवा अन्य किसी मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते हैं या परेशान करते हैं। उसकी पुत्री ने यह भी नहीं बताया कि उसका दामाद उसकी पुत्री के साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाए थे। इस साक्षी को भी

अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किया गया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और पुलिस बयान प्रदर्श पी–8 में वर्णित तथ्य पुलिस को बताने से इंकार किया है। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बताया है कि उसका दामाद और ससुराल के सभी लोग उसकी पुत्री के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और उसे ससुराल में कोई दुख तकलीफ नहीं देते थे। वह नहीं चाहती कि उसके दामाद व ससुराल वालों के विरूद्ध कार्यवाही हो।

11. डॉ0 मंजुल द्विवेदी अ0सा05 ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 29.3.18 को वह जिला चिकित्सालय बिछिया रीवा में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ थी। उनके अधीनस्थ डॉ0 अनामिका भी उक्त अस्पताल में पदस्थ थी। डॉ0 अनामिका ने पीड़िता को महिला सैनिक 241 सितारा खान द्वारा प्रस्तुत करने पर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया था और परीक्षण में डॉक्टर ने पाया था कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोंट या खरोंच के निशान नहीं थे। वाह्य शरीर पर भी किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए थे। पीड़िता को अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हुए महिला रोग विशेषज्ञ का अभिमत लेने के लिए सोनोग्राफी के लिए एसजीएमएच रीवा रेफर किया था। चिकित्सक ने पीड़िता के साथ तात्कालिक संभोग के बारे में निश्चित अभिमत नहीं दिया गया है। पीड़िता की चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 है, जिस पर बी से बी भाग पर डॉ0 अनामिका के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह पहचानती हैं क्योंकि डॉ0 अनामिका उनके अधीनस्थ पदस्थ थीं। पीड़िता की सोनोग्राफी रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 है जो पूर्णतः सामान्य थी। इस स्तर पर मेडिकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 एवं फरियादिया की सोनोग्राफी रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 का अवलोकन किया गया। मेडिकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 में फरियादिया के शरीर में वाह्य एवं आंतरिक रूप से किसी प्रकार के चोंट या खरोंच के निशान होना नहीं पाए गए हैं । इसी प्रकार फरियादिया की सोनोग्राफी रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 एकदम सामान्य थी, जिसमें भी फरियादिया के अंदर के सभी अंग पूर्णतः सामान्य स्थिति में थे।

12. डॉ0 विपिन पाठक अ0सा04 ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 30.03.2018 को जिला चिकित्सालय बिछिया में मेडिकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उसी दिनांक को आरक्षक क्र040 त्रियुगीनारायण द्वारा अमित मिश्रा पिता स्व0 रामकिशोर मिश्रा को मेडिकल परीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने पर उसने अमित मिश्रा का चिकित्सीय परीक्षण किया था और पाया था कि अमित मिश्रा पूर्णतः स्वस्थ था और उसके प्रथम एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित थे। उन्होंने अमित मिश्रा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए सक्षम होना पाया था। इस साक्षी ने अमित मिश्रा का चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–15 तैयार किया जाना एवं उसमें ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है।

13. प्रकरण की विवेचना अधिकारी श्रीमती प्रियंका पाठक अ0सा03 ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 28.3.18 को महिला थाना रीवा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को पीड़िता ने थाना आकर आरोपीगण के विरूद्ध बिजनेस करने के लिए एक लाख रूपये मांगने और न लाने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने , पति अमित मिश्रा द्वारा अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट लिखाई थी, जिस पर उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 14/18 धारा 377, 498ए/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीबद्ध किया जाकर प्रदर्श पी–1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए थे। पीड़िता को महिला सैनिक सितारा खान के साथ चिकित्सीय परीक्षण हेतु मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी–3 भरकर अस्पताल भेजा था। पीड़िता की निशानदेही पर प्रदर्श पी–4 का नक्शा मौका तैयार किया था। पीड़िता द्वारा पेश करने पर कपड़े व वालपेन जप्तकर प्रदर्श पी–5 का जप्ती पत्रक तैयार किया था। पीड़िता द्वारा पेश करने पर शादी का कार्ड, फोटो, शादी में दिए गए सामान की लिस्ट व रसीदें जप्तकर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–6 जप्त किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी–9 लगायत प्रदर्श पी–12 को गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया था। उसने पीड़िता का धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय में बयान कराया था। उसके द्वारा जप्तशुदा आर्टिकल को रासायनिक परीक्षण हेतु जरिए ज्ञापन राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला सागर भेजा था। एफएसएल

की रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादिया जब उसके पास आई थी तब उसने पति पत्नी के मध्य मात्र सामान्य विवाद होने की बात बताई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके द्वारा फरियादिया को सुझाव देकर प्रदर्श पी–1 की रिपोर्ट लिखाई गई थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि प्रदर्श पी–1 की रिपोर्ट में सत्यता नहीं थी इसलिए उसने विवेचना भी स्वयं ही की थी।

14. प्रकरण में आई सम्पूर्ण साक्षियों की उकत विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि फरियादिया के साथ घटना का घटित होना अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। फरियादिया अ0सा01 द्वारा कथन किया गया है कि उसके साथ न तो दहेज को लेकर कोई प्रताड़ना हुई है और न ही किसी प्रकार अप्राकृतिक यौन संबंध उसके पति द्वारा उससे बनाए थे। आरोपीगण उसका बहुत सम्मान करते हैं। वह ससुराल में इज्जत सम्मान से रह रही है। इस प्रकार फरियादिया ने उसके साथ आरोपीगण द्वारा किसी भी तरीके से उसके साथ कोई घटना कारित करने से पूर्णतः इंकार किया गया है। मृतिका की मां सविता मिश्रा अ0सा02 ने अपने कथन में बताया है कि उसकी पुत्री ने आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग किए जाने एवं प्रताड़ित किए जाने संबंधी कभी कोई शिकायत नहीं की। उसकी पुत्री ससुराल में सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। फरियादिया अ0सा01 ने उसके साथ आरोपी अमित मिश्रा द्वारा मारपीट की किसी भी प्रकार की घटना से इंकार किया है। साथ ही उसके साथ किसी भी प्रकार से आरोपी मिश्रा द्वारा अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध की घटना होने से इंकार किया है। फरियादिया की मां सविता मिश्रा अ0सा02 ने भी ऐसी कोई बात फरियादिया द्वारा उसे बताने से पूर्णतः इंकार किया गया है। डॉ0 मंजुल द्विवेदी अ0सा05 द्वारा भी मेडिकल परीक्षण के दौरान फरियादिया के साथ किसी प्रकारका अप्राकृतिक यौन संबंध होने का कोई अभिमत नहीं दिया गया है। डॉ0 विपिन पाठक अ0सा04 ने आरोपी अमित मिश्रा का चिकित्सीय परीक्षणकर्ता साक्षी है। इसी प्रकार प्रियंका पाठक अ0सा03 विवेचना की साक्षी है जो मुख्य साक्षियों के पक्षद्रोही होने की स्थिति में औपचारिक साक्षी की श्रेणी में आती है।

15. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण द्वारा फरियादिया से दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, आरोपी अमित मिश्रा द्वारा मारपीट करने तथा फरियादिया के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध स्वेच्छया इन्द्रियभोग कर अप्राकृतिक मैथुन किए जाने वाले तथ्य को विधिवत तरीके से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

16. अतः आरोपी अमित मिश्रा पिता स्व0 रामकिशोर मिश्रा उम्र 29 वर्ष को धारा 498ए, 323, 377 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तथा शेष आरोपीगण कुसुम मिश्रा पति स्व0 श्री रामकिशोर मिश्रा उम्र 63 वर्ष, नीरज मिश्रा पिता स्व0 श्री रामकिशोर मिश्रा उम्र 32 वर्ष, नीलू उर्फ नीलम मिश्रा पति नीरज मिश्रा उम्र 30 वर्ष सभी निवासी ग्राम बैसा पड़ोखर थाना बिछिया जिला रीवा को धारा 498ए भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

17. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार इस सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

(श्रीमती संगीता मदान)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश,
रीवा, म0प्र0

निर्णय मेरे निर्देशन पर टाईप
किया गया।

(श्रीमती संगीता मदान)
दशम अपर सत्र न्यायाधीश,
रीवा, म0प्र0

रीवा, दिनांक 16 फरवरी, 2023

SANGEETA MADAN

Digitally signed by SANGEETA MADAN
Date: 2023.02.16 16:39:39 +0530